

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 20.7.2013

विषय :- माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-50P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग /4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण / 50P470200796200543	135.604

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार चार सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 के बजट उपबंध ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त



(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 51

राँची, दिनांक :- 20.7.2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 51

राँची, दिनांक :- 20.7.2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त



(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता



(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव



(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

51 / संघी, दिनांक - 20.7.2013 परिशिष्ट - 1

पत्रांक - 51
 मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
 मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिचय,
 लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
 उपशीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
 विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुसूचण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण,
 विपणन कोड-501470200796200543
 बजट उपबंध (वर्ष 2013-14) रु. 200.00 लाख

राशि (लाख ₹ में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 13 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन				अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
उद्वह सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।												
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, संघी	सिल्ली	1	बिहारिया (पूर्व) का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	20.280	21.107	0.000	2.000	2.000		
			2	बिसरिया (पश्चिम) उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	22.670	18.684	0.000	4.000	4.000		
			3	तुरुप उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	23.570	22.248	0.000	2.000	2.000		
			4	जामुआरी उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	27.800	23.137	0.000	5.000	5.000		
			योग			13.000	13.000	0.000	13.000	13.000		
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	खूँटी	1	जमुआदाग उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	6.750	7.935	0.000	0.104	0.104		
			2	माहित उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	9.280	5.029	0.000	4.000	4.000		
			3	नावाडीह उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	50/07.03.11	21.000	18.212	0.000	3.000	3.000		
			4	ईवाहातु उ.सि.यो. का पुनर्स्थापन	26/10.12.10	33.180	22.793	0.000	7.500	7.500		
			योग			14.604	14.604	0.000	14.604	14.604		
मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन												
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, संघी	सिल्ली	1	बड़ा चाँगरु मा.सि.योजना का पुनर्स्थापन	13/26.07.12	55.600	2.000	0.000	35.000	35.000		
			2	एसल मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन	21/30.08.12	104.310	20.693	0.000	35.000	35.000		
			3	साहेबबाँध तालाब योजना का पुनर्स्थापन	57/28.03.11	168.480	162.463	0.000	14.000	14.000		
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	पू. सिंहभूम	4	साहेबबाँध तालाब योजना का जीर्णोद्धार	56/28.03.11	138.370	161.006	0.000	4.000	4.000		
			5	असकिया सोतिया मा.सि.योजना का पुनर्स्थापन	09/18.06.12	95.350	24.534	0.000	20.000	20.000		
			योग			108.000	108.000	0.000	108.000	108.000		
					कुल योग	0.000	135.604	135.604	0.000	135.604	135.604	

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार चार सौ मात्र।

(ऑफिकर नाथ)
 सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
 संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी.सी. निगम)
 विशेष सचिव

(एस.के. शतपथी)
 प्रधान सचिव